न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

आपराधिक प्रक0क्र0-331 / 12

संस्थित दिनाँक-29.05.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला–भिण्ड (म०प्र०) विरुद्ध

.....अभियोगी

- अशोक पुत्र शोभाराम कुशवाह उम्र 38 साल
- आशाराम पुत्र गोविन्द कुशवाह उम्र 53 साल
- प्रहलाद पुत्र गोविन्द कुशवाह उम्र 37 साल निवासीगण ग्राम सर्वा थाना <u>गो</u>हद चौराहा जिला भिण्ड म०प्र०

रतनसिंह पुत्र स्व0 मेहताबसिंह

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 15.09.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर आयुद्य अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 31.01.12 को 11:30 बजे या उसके लगभग ग्राम सर्वा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के प्रथक प्रथक आग्नेय आयुध अभियुक्त आशाराम ने 12 बोर की दुनाली बंदूक मय दो कारतूस, अभियुक्त अशोक ने 12 बोर के चार जिंदा कारतूस एवं एक खाली खोका तथा अभियुक्त प्रहलादसिंह ने 12 बोर के 5 जिंदा कारतूस अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में रखे।

- प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त क0 4 रतनसिंह की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही उपशमित की गयी।
- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 31.01.2012 को थाना गोहद चौराहा पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक बी०एल० बंसल थाने के अपराध क0 16/12 अंतर्गत धारा 448, 294, 506-बी, 34 भादंवि की विवेचना हेतु ग्राम सर्वा गये थे। घटना स्थल पर पहुचे तो वहां तीन व्यक्ति अबैध हथियार 12 बोर की दोनाली बंदूक लिये खड़े थे। उनसे नाम पता पूछने पर अभियुक्तगण ने अपना नाम पता बताया। अभियुक्त आशाराम से दोनाली बंदूक जिसमें दो जिंदा कारतूस लगे थे, अभियुक्त प्रहलाद से पेंट की जेब में पांच जिंदा कारतूस 12 बोर के तथा तीसरे अभियुक्त अशोक की तलाशी लेने पर उसके पास 12 बोर के चार जिंदा कारतूस एवं एक खोका जब्त किया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना वापसी पर अपराध क0 17/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान कथन लेखबद्ध किए गए, कट्टा व कारतूस की जांच कराई गयी, अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति ली गयी। तत्पश्चात् अभियोगपत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंडा फंसाये जाने का कथन किया है।
- प्रकरण के निराकरण हेत् निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1. क्या अभियुक्तगण दिनांक 31.01.12 को 11:30 बजे या उसके लगभग ग्राम सर्वा अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध बंदूक व राउण्ड अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में रखे ?

<u>—ः सकारण निष्कर्ष ः:–</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में कमलिसंह अ०सा० 1, बी०एल० बंसल अ०सा० 2, चतुरिसंह उर्फ चन्द्रपाल अ०सा० 3, राजिकशोर अ०सा० 4, राजू शाक्य अ०सा० 5, ब्रजराजिसंह अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्तगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
- 7. जब्तीकर्ता बी०एल बंसल अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि दिनांक 31.01.2012 को थाना गोहद चौराहा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को अपराध क0 16/12 की अनुसंधान हेतु ग्राम सर्वा गये थे, जहां घटना स्थल पर पहुचे तो तीन व्यक्ति मिले जिनमें एक व्यक्ति 12 बोर की दोनाली बंदूक लिये था। उसका नाम पूछा तो आशाराम कुशवाह बताया, तलाशी में 12 बोर की बदूक में दो जिंदा कारतूस फंसे मिले थे, दूसरे व्यक्ति ने नाम अभियुक्त प्रहलाद बताया तलाशी लेने पर पांच जिंदा कारतूस तथा तीसरा अभियुक्त अशोक की तलाशी लेने पर 12 बोर के चार जिंदा कारतूस व एक खोका मिला। उक्त बंदूक व कारतूस रखने का अभियुक्तगण से लाईसेंस चाहे जाने पर लाईसेंस ना होना बताया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण से उपरोक्तानुसार आग्नेय आयुध जब्त कर जब्ती पत्रक प्र0पीठ 1,2,3 बनाये जाने जिन पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पीठ 4, 5, 6 बनाये जाने जिन पर भी हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। इसके बाद थाने पर आकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कठ 17/12 को प्र0पीठ 8 के रूप में पंजीबद्ध किये जाने का कथन करते हुए ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

- 8. प्रकरण में प्र0पी0 1 लगायत 3 के प्रत्यक्ष साक्षी कमल सिंह अ0सा0 1 तथा चतुर सिंह उर्फ चन्द्रपाल अ0सा0 3 है। उक्त दोनों ही साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में पक्षविरोधी हो गये और अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं करते हैं। यद्यपि प्र0पी0 1 लगायत 6 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को ए से ए तथा सी से सी भाग पर किया जाना बताते हैं। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना की पुष्टि नहीं की गई है। अतः अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं है। यद्यपि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है किन्तु प्र0पी0 1 लगायत 6 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को अवश्य स्वीकार किया है। अभिकथित हस्ताक्षर किस प्रकार से दस्तावेजों पर अंकित हुए, इसका कोई स्पष्टीकरण साक्षियों ने प्रकट नहीं किया है ना ही साक्षियों ने अभिकथित दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर भय अथवा प्रकोपन के कारण कराये जाने का कोई स्पष्टीकरण किया है तथा ना ही कथित हस्ताक्षर के संबंध में कोई शिकायत किसी वरिष्ट अधिकारी व न्यायालय को की हो, ऐसा भी प्रकट नहीं किया है।
- न्यायालय का ध्यान न्यायनिर्णय— राजाखिरना विरूद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्यः न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। <u>न्यायदृष्टात- मदन सिंह विरूद्ध राजस्थान राज्य ए आई</u> आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्टाया सदाशिव नन्दोस्कर विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धात परिपादित किया कि मात्रपुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यो झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनो का समर्थन स्वतत्र गवाहो ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति मे उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।" हाल ही में मान० म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा न्यायद्ष्टांत घनश्याम लक्ष्मीनारायण पाटीदार व अन्य विरूद्ध म०प्र० राज्य 2016 किमनल लॉ जनरल 4937 में प्रतिपादित सिद्धांत उल्लेखनीय है। उक्त मामले में मान0 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि पुलिस अधिकारी की अभिसाक्ष्य पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, जबकि न्यायालय का यह मत हो कि साक्षी सत्यवादी एवं विश्वसनीय है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा मान० सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत लूपचंद नारूजी जाट व अन्य विरुद्ध गुजरात राज्य (2004) 7 एस०सी०सी० 566, अब्दुल मजीद अब्दुल हक अंसारी विरुद्ध गुजरात राज्य (2003) 10 एस0सी0सी0 198 तथा पी0पी0 वीरन विरूद्ध केरल राज्य (2001) 9 एस0सी0सी0 57 पर आस्था व्यक्त की है। ऐसी दशा में न्यायालय को यह देखना हैं कि क्या जब्तीकर्ता अधिकारी बी०एल० बंसल अ०सा० २ की अभिसाक्ष्य विश्वसनीय हैं।

- 10. बी०एल० बंसल अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि वे थाने से करीब 11 बजे गये थे और थाने पर रवानगी व वापसी रोजनामचा सान्हा पर अंकित की थी। साक्षी घटनास्थल पर करीब 11:30 बजे पहुचने का कथन करते हैं। साक्षी शासकीय वाहन से ग्राम सर्वा 10–15 मिनिट में पहुच सकने का तथ्य स्वीकार करते हैं और पुनः स्पष्ट करते हैं कि वे धारा 498ए की विवेचना करने के लिए मौके पर करीब 11 बजे पहुच गये थे। इसके उपरांत फरियादी के घर गये, जहां उन्होंने फरियादी और साक्षियों के कथन लिये थे और उक्त कार्यवाही में करीब आधा घण्टे का समय बताते हैं। साक्षी कथित अपराध क0 16/12 जिसमें अनुसंधान हेतु गया था, उसकी रवानगी रोजनामचा की नकल प्रस्तुत किये जाने व संलग्न होना बताते हैं। इस प्रकार से साक्षी का कथन रोजनामचा सान्हा के माध्यम से समर्थिक है, जिसपर अविश्वास का कोई कारण दर्शित नहीं है।
- 11. प्रकरण में बी०एल0 बंसल अ०सा० 2 जब्दी पत्रक में नमूना सील अंकित ना होने का तथ्य अवश्य स्वीकार करते हैं, किन्तु मात्र जब्दी पत्रक में नमूना सील ना होने से बंदूक व कारतूसो की अनन्यता अभिखंडित नहीं हो जाती है। अभियुक्तगण की ओर से मुख्यतः यह बचाव लिया है कि कमल सिंह जो ग्राम सर्वा के सरपंच थे, उनसे अभियुक्तगण का खेत संबंधी विवाद चल रहा था, जिसमें कमलसिंह के कहे अनुसार मिथ्या कार्यवाही की गई है। प्रकरण में बी०एल० बंसल अ०सा० 2 ने अभियुक्तगण के कमल सिंह के परिवार से खेत संबंधी विवाद होने के संबंध में अनिभज्ञता प्रकट की है। और इस तथ्य से इनकार किया है कि कमलिसंह के कहने पर थाने पर असत्य रूप से कार्यवाही की गई है। कमलिसंह अ०सा० 1 को अभियोजन साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया। उक्त साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता है। साथ ही कमलिसंह को अभियुक्तगण की ओर से कथित असत्य अपराध में लिप्त कराये जाने का कोई सुझाव भी नहीं दिया गया। कथित कमलिसंह के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध यदि असम्यक असर के माध्यम से कार्यवाही कराई तो अभियुक्तगण द्वारा कोई शिकायत या परिवाद प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा भी अभिलेख पर नहीं है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण का बचाव आधारहीन प्रतीत होता है।
- 12. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह तथ्य दर्शाया गया है कि कथित जब्तशुदा बंदूक रतनसिंह की थी और पुलिस द्वारा उसे जब्त दर्शाया गया है। प्रकरण में कथित बंदूक रतनसिंह की थी। इस संबंध में अभियोजन साक्षियों ने अज्ञानता प्रकट की है। अभियुक्तगण की ओर से उक्त बंदूक को रतनसिंह के होने के संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, साथ ही यदि तर्क के लिए मान लिया जाये कि कथित बंदूक का अनुज्ञप्तिधारी रतनसिंह था, तो भी अभियुक्तगण को किस अधिकार से उक्त बंदूक व कारतूस रखने की शक्ति प्राप्त हुई, इस संबंध में कोई भी तर्क अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है। वहीं दूसरी ओर अभियुक्तगण के आधिपत्य से आग्नेय आयोग जब्ती के संबंध में जब्तीकर्ता अधिकारी की अखण्डनीय एवं असंदिग्ध साक्ष्य मौजूद है।

- प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब्तीकर्ता व अनुसंधान कर्ता एक ही व्यक्ति है इस कारण से अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जब्तीकर्ता अधिकारी बी०एल० बंसल अ०सा० ०२ हैं जबकि अनुसंधानकर्ता बुजराज सिंह अ0सा0 06 हैं। यद्यपि जब्तीकर्ता बी०एल0 बंसल अ0सा0 02 प्रकरण में प्राथमिकीकर्ता भी है किन्तु जब्तीकर्ता अधिकारी प्राथमिकीकर्ता नहीं हो सकता ऐसा साक्ष्य का कोई नियम नहीं हैं। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान <u>न्यायदृष्टांत स्टेट विरूद्ध जयपाल 2004 एआईआर</u> एस०सी०डब्ल्य 1762 में यह अभिनिर्धारित किया कि यदि संज्ञेय अपराध का अनुसंधान वह अधिकारी करने में सक्षम हैं जो किसी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखता है और अपराध पंजीबद्ध करता है, वह अधिकारी अंतिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकता है। अभियुक्त के हितों पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पडा, इससे स्वतः ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार से ऐसी कोई विधि नहीं हैं कि जब्तीकर्ता अधिकारी यदि अपराध का अनवेषण करने में समर्थ हो तो वह अन्वेषण नहीं कर सकेगा। अभियुक्तगण के विरूद्ध जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा असत्य कार्यवाही किए जाने का एवं अभियुक्तगण के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडा हो, ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। इस संबंध में भी अभियुक्तगण का तर्क सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं हैं, न हीं अभियुक्तगण को कोई लाभ प्रदान करता है।
- 14. इस प्रकार से प्रकरण में जब्तीकर्ता के साक्ष्य में ऐसी कोई भी विसंगति या परिस्थिति उल्लेखित नहीं हुई जिससे कि अभियुक्त के विरुद्ध जब्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा असत्य कार्यवाही किए जाने व साक्षियों द्वारा असत्य रूप से समर्थन किए जाने का युक्तियुक्त आधार हो। अर्थात अभियुक्त को मिथ्या रूप से लिप्त करने का कोई आधार नहीं पाया गया है। प्रकरण में साक्षी राजिकशोर सिंह अंगा 04 आरमोरर है जो जब्तशुदा 12 बोर की दोनाली बंदूक एवं 12 बोर के कारतूसों की जांच कर्ता हैं। उक्त साक्षी बंदूक फायर योग्य होने तथा कारतूसों को फायर योग्य होने का कथन करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट प्रवर्णीव 9 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। राजू शाक्य अंग्साठ 5 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधिवत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में सारवान कथन करते हैं। अभियोजन स्वीकृति प्रवान किए जाने के संबंध में सारवान कथन करते हैं। अभियोजन स्वीकृति प्रवान रिपोर्ट जिला दण्डाधिकारी व बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर के संबंध में इस साक्षी का अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिव 1872 की धारा 47 के अधीन पूर्णतः सुसंगत एवं समर्थनकारी है।
- 14. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण दिनांक 31.01.12 को 11:30 बजे या उसके लगभग ग्राम सर्वा अंतर्गत

थाना गोहद चौराहा क्षेत्र बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के प्रथक प्रथक आग्नेय आयुध अभियुक्त आशाराम ने 12 बोर की दुनाली बंदूक मय दो कारतूस, अभियुक्त अशोक ने 12 बोर के चार जिंदा कारतूस एवं एक खाली खोका तथा अभियुक्त प्रहलादिसंह ने 12 बोर के 5 जिंदा कारतूस अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में रख। अतः अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 25 (1—बी) ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

- 15 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।
- 16. अभियुक्तगण का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

पुनश्च:

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

- 17. अभियुक्तगण एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण मजदूर व्यक्ति आधार पर एवं उसके अभिरक्षा में बिताई गयी अविध को देखते हुए उसे कम से कम दण्ड से दिण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।
- 18. अभियुक्तगण यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार अभियुक्तगण के ग्रामीण परिवेश के मजदूर होने का तथ्य अभिलेख पर है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के संबंध में आरोप तथा इसके अतिरिक्त अवैध हथियार निर्माण की सामग्री रखने का अपराध प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीब्रता से बढ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 25—(1बी) (ए) के अधीन न्यूनतम उपबंधित सजा एक—एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच—पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिकृम की दशा में अभियुक्तगण को एक—एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।
- 19. अभियुक्तगण से जब्तशुदा आग्नेय आयुध एवं कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित किया जावे। अपील की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन हो।

- 20. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दप्रस की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।
- 21. निर्णय की एक—एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ठ मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

